

6/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. साबित करने में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेश हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 2.11.23 को पेश हो।

करवाकर रीकर

28/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वाडेया क्वासीत। वाडेया द्वारा प्रार्थना पत्र भ्रष्ट खारेज किने जाने का पेश किया। वाडेया उकरम को छोड़े नहीं चलाया चाहती है विद्रो करना चाहती है इस बात वाडेयाने कोर्टमिका पर कैंसल निशानी लगायी। वाडेया वकील ने पहचान की। अतः वाडेया प्रार्थना पत्र के आधार पर वाडेया काउ को विद्रो किने जाने की अनुमति दी जाती है तथा काउ की कार्यवाही उसी स्तर पर समाप्त की जाती है पत्रावली फिलान्शुगर देकर काउ उकतील डाकिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
वादीकुई

म. ग. गोखले  
Talekar & Co. B.A.  
A. B. S.